बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना 800004

Bihar Education Project Council,
Shiksha Bhawan, Rashtra Bhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna - 800 004

पत्रांकः–Acctts/217/2014-15/6467 दिनांकः–11/10/21

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,
बिहार शिक्षा परियोजना, पश्चिमी चम्पारण।

विषयः– **RMSA अंतर्गत कार्यरत् बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के कार्यपालक सहायक के E.P.F. की कटौती के संबंध में।**

प्रसंगः– आपका पत्रांक Acctts/SSA/1616 दिनांक 02.08.2021।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि आपके द्वारा पूर्व से RMSA में कार्यरत् दो कार्यपालक सहायक यथा श्री प्रकाश कुमार एवं श्री सूर्यांश कुमार श्रीवास्तव के E.P.F. की कटौती के संबंध में मार्गदर्शन की माँग की गई है।

राज्य कार्यालय के पत्रांक K.G.B.V./75/ 2008-09/598 दिनांक 21.01.2019 (पत्र संलग्न) एवं पत्रांक IE/27/2010-11/Part-II/8842 दिनांक 16.10.2019 (पत्र संलग्न) के द्वारा क्रमशः जिले के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में कार्यरत टाईप-I एवं टाईप-III में विहित प्रक्रिया से नियोजित कर्मियों और समावेशी शिक्षा अंतर्गत् कार्यरत संसाधन शिक्षक, प्रखंड साधन सेवी (समावेशी शिक्षा) एवं पुनर्वास विशेषज्ञों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दी जानी है, इसके अतिरिक्त कार्यालय पत्रांक Acctts/2017/2014-15/1590 दिनांक 01.03.2021 के द्वारा निदेश दिया गया है कि जिला के प्रबंधकीय संरचना अंतर्गत कार्यरत् सभी कर्मियों का E.P.F. की कटौती राशि को जिला के Establishment code के अंतर्गत जमा किया जायेगा।

अतः उपर्युक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि राज्य कार्यालय के उपरोक्त निर्गत आदेश के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्यरत् कर्मी का E.P.F. की राशि जिला के Establishment code के अंतर्गत जमा नहीं की जायेगी।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक :– यथोक्त।

(श्रीकान्त शास्त्री)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक :– Acctts/217/2014-15/6467 दिनांक :– 11/10/21

प्रतिलिपि :– प्रशासी पदाधिकारी, B.E.P.C., Patna एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा), सभी जिले को सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य परियोजना निदेशक

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

:0612-2667164/2667168, Fax: 0612-2667190, Email:

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर
सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना 800004

Bihar Education Project Council,
Shiksha Bhawan, Rashtra Bhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna - 800 004

1510

पत्रांक—Acctts/217/2014-15/ 1590 दिनांक 01/03/2021

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान
बिहार शिक्षा परियोजना,
सभी जिला।

विषय:— जिला स्तरीय कार्यालय के अन्तर्गत नियुक्त कर्मियों के E.P.F. की कटौती राशि को जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबध मे अंकित करना है कि कार्यालय आदेश पत्रांक 515 (लेखा) दिनांक 16.01.2010 द्वारा राज्य स्तरीय कार्यालय एव जिला स्तरीय कार्यालय में प्रबंधन संरचना के अंतर्गत संविदा पर नियुक्त पदाधिकारियो/कर्मियो को भविष्य निधि योजना का सदस्य बनाकर इस योजना का लाभ देने हेतु निदेश दिया गया था। इस निदेश के आलोक मे राज्य स्तरीय कार्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालय में प्रबंधन संरचना के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत् पदाधिकारियो/कर्मियों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।

कार्यालय पत्रांक K.G.B.V./75/2008-09/598 दिनांक 21.01.2019 एवं कार्यालय पत्रांक IE/27/2010-11/Part-II/8842 दिनांक 16.10.2019 द्वारा जिले के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में कार्यरत टाईप–I एव टाईप III मे विहित प्रक्रिया से नियोजित कर्मियो को एवं समावेशी शिक्षा अंतर्गत कार्यरत् संसाधन शिक्षक, प्रखंड साधन सेवी (समावेशी शिक्षा) एवं पुनर्वास विशेषज्ञों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दिये जाने का निदेश निर्गत है और इस आलोक में कार्यालय पत्रांक Acctts/74/2012-13/Part-VII/9652 दिनांक 21.11.2019 द्वारा जिला कार्यालय को E.P.F.O. में Establishment Code बिहार शिक्षा परियोजना जिला का नाम अंकित करते हुए पंजीकृत कराने हेतु निदेश दिया गया था।

उक्त निदेश के आलोक मे जिला कार्यालय द्वारा कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में कार्यरत टाईप–I एवं टाईप III मे विहित प्रक्रिया से नियोजित कर्मियों को एवं समावेशी शिक्षा अंतर्गत कार्यरत् संसाधन शिक्षक, प्रखंड साधन सेवी (समावेशी शिक्षा) एवं पुनर्वास विशेषज्ञों के वेतन से EPF राशि की कटौती कर E.P.F.O. को Online जमा किया जा रहा है।

जिला कार्यालय के प्रबंधकीय संरचना के अंतर्गत कार्यरत् कर्मियों के नियोक्ता जिला कार्यालय ही होते है और जिला को अब वर्तमान मे E.P.F.O. से Establishment Code प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक मे निदेश दिया जाता है कि जिले मे प्रबंधकीय संरचना अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मियो को जिले के Establishment Code के अंतर्गत पंजीकृत करते हुए माह अप्रैल, 2021 से E.P.F. राशि की कटौती कर E.P.F.O. में जिला स्तर से ही जमा करना सुनिश्चित करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यालय के द्वारा नियुक्त जिलो मे कार्यरत् पदाधिकारियो/कर्मियों का ECR पूर्व की भांति राज्य कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराते रहेंगे।

विश्वासभाजन

(संजय सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक — Acctts/217/2014-15/ 1590 दिनांक — 01/03/2021

प्रतिलिपि :— प्रशासी पदाधिकारी, B.E.P.C., Patna एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिले को सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य परियोजना निदेशक

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
(राज्य स्तरीय कार्यालय)
शिक्षा भवन, सैदपुर, राजेन्द्र नगर
पटना 800004

Bihar Education Project Council
(State Level Office)
Shiksha Bhawan, Saidpur, Rajendra Nagar
Patna-800004

पत्रांक KGBV/75/2008-09/ 598 दिनांक 21/01/2019

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार शिक्षा परियोजना,
सभी जिले।

विषय : **करतूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में कार्यरत कर्मियों के वेतनवृद्धि एवं EPF कटौती के संबंध में।**

महाशय,

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक—02.01.2019 को आहूत 82वीं बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में राज्य के सभी जिले के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में विहित प्रक्रिया से नियोजित तथा दैनिकभोगी कर्मियों के वेतन में की गयी वृद्धि निम्नवत है —

1. के•जी•बी•भी• टाईप—I (कक्षा VI से VIII) एवं टाईप—III (कक्षा VI से XII)

क्र• स•	पदनाम	वर्तमान वेतन प्रति माह (रू• में)	संशोधित वेतन प्रति माह (रू• में)
1	वार्डेन—सह—शिक्षिका	7200 + 500(विशेष भत्ता) = 7700/-	15,000/-
2	अंशकालिक शिक्षिका (पूर्व पदनाम "पूर्णकालिक शिक्षिका")	7000/-	13,000/-
3	लेखापाल	5800/-	8,500/-
4	अनुसेवक	3500/-	6,500/-
5	रात्रि प्रहरी / चौकीदार	3500/-	6,500/-
6	मुख्य रसोईया	3500/-	6,500/-
7	सहायक रसोईया	2900/-	6,000/-

2. के•जी•बी•भी• टाईप—IV (कक्षा IX से XII)

क्र• सं•	पदनाम	वर्तमान वेतन प्रति माह (रू• में)	संशोधित वेतन प्रति माह (रू• में)	अभ्युक्ति
1	वार्डेन*	5000/-	5000/-	बजट में प्रावधानित अधिकतम सीमा
2	रात्रि प्रहरी / चौकीदार	3000/-	5000/-	
3	मुख्य रसोईया	3000/-	5000/-	
4	सहायक रसोईया	2500/-	4500/-	

नोट :-- *सम्प्रति उच्च / मध्य विद्यालय की प्रतिनियोजित शिक्षिका

21.1.19

शिक्षा परियोजना परिषद्
(राज्य स्तरीय कार्यालय)
शिक्षा भवन, सैदपुर, राजेन्द्र नगर
पटना-800004

Bihar Education Project Council
(State Level Office)
Shiksha Bhawan, Saidpur, Rajendra Nagar
Patna-800004

3. विहित प्रक्रिया से नियोजन होने तक वैकल्पिक तौर पर कार्य कर रहे दैनिकभोगी अनुसेवक, रात्रि प्रहरी / चौकीदार एवं रसोईया की दैनिक मजदूरी रू० 80 / – [illegible] दिन से बढ़ाकर रू० 150 / – प्रतिदिन की गयी है।

4. के०जी०बी०वी० टाईप–I एवं के०जी०बी०वी० टाईप–III में विहित प्रक्रिया से नियोजित कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की सुविधा दिनांक- 01.04.2019 से देय होगी। इसके क्रियान्वयन संबंधी आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

5. वेतन वृद्धि की उपरोक्त सुविधा के०जी०बी०वी० के वैसे सभी कर्मियों को [illegible] जाएगा जो वर्ष 2014 में वेतनवृद्धि हेतु आयोजित दक्षता परीक्षा में भाग नहीं ले पाये या सफल नहीं हो पाए थे।

6. वर्तमान में कार्यरत कर्मियों को उपरोक्त वेतन वृद्धि पहली अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगी।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(संजय सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक KGBV/75/2008-09/598 दिनांक 21/01/2019

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी समिति, बिहार शिक्षा परियोजना को सूचनार्थ प्रेषित।

21/1/19

राज्य परियोजना निदेशक

0612-2667168, fax 0612-2667190 Email: ssabihar@gmail.com Website: www.bepc.[illegible]

Sanjay Singh, I.A.S
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना-04

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad Campus
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-04

पत्रांक— II/27/2010-11part-II/ 5892 दिनांक— 16/5/19

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिले, बिहार।

विषयः— समावेशी शिक्षा अंतर्गत कार्यरत संसाधन शिक्षक, प्रखंड साधन सेवी (समावेशी शिक्षा) एवं पुनर्वास विशेषज्ञों के मानदेय से EPF कटौती के संबंध में।

महाशय,

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् की राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक—02.01.2019 को आहूत 82 वी बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में राज्य के सभी जिले के समावेशी शिक्षा अंतर्गत कार्यरत प्रखंड साधन सेवी (IE), संसाधन शिक्षक एवं पुनर्वास विशेषज्ञों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) निम्न प्रावधानों के आलोक में देय होगी।

1. कर्मियों के मूल वेतन (अधिकतम 15000/— पन्द्रह हजार रूपए तक) से नियमानुसार 12% की राशि स्त्रोत पर ही कटौती कर जमा कर ली जाएगी तथा उतनी ही राशि नियोक्ता के द्वारा अंशदान के रूप में जमा की जाएगी।

2. कर्मियों को वर्तमान में कुल समेकित मानदेय 16,500/— प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है उक्त मानदेय राशि से ही कर्मचारी अंशदान कंडिका (1) के आलोक में कटौती की जाएगी।

3. वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए समावेशी शिक्षा हेतु स्वीकृत बजट के तहत संसाधन शिक्षक पुनर्वास विशेषज्ञों के मानदेय राशि 18,500/— प्रतिमाह (2.22 लाख बारह महीने के लिए) में से 2000/— रूपए प्रतिमाह नियोक्ता का अंशदान एवं Administrative charge EDLI के रूप में नियमानुसार व्यय किया जाएगा।

4. वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए Quality Intervention शीर्ष के तहत Academic support through BRC/URC/CRC के उपशीर्ष 108 b. salary for 2 resource persons for CWSN अंतर्गत स्वीकृत राशि (मानदेय) RS.18500/- प्रतिमाह (2.22 लाख बारह महीने के लिए) में से 2000/- रूपए प्रतिमाह नियोक्ता का अंशदान एवं Administrative charge EDLI के रूप में नियमानुसार व्यय किया जाएगा।

5. समावेशी शिक्षा अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का EPF कटौती संबंधी प्रक्रिया जिला कार्यालय के लेखाशाखा/प्रबंधन शाखा के द्वारा समपन्न किया जाएगा।

(signature) 16/5/19

Sanjay Singh, I.A.S.
State Project Director

294 ~~293~~ 506

6. कार्यालय पत्रांक KGBV / 60 / 2019–20 / 5630, दिनांक–16.08.2019 द्वारा EPF भुगतान हेतु खोले गये बैंक खाता के माध्यम से इस राशि का भी भुगतान एवं दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

7. वर्तमान में कार्यरत कर्मियों को EPF कटौती की सुविधा पहली अप्रैल 2019 से प्रभावी मानी जाएगी।

विश्वासभाजन

(संजय सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक – IE/27/2010-11part-II/ 8842 दिनांक– 16.10.19
प्रतिलिपि:– सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक:– IE/27/2010-11part-II/ 8842 दिनांक– 16.10.19
प्रतिलिपि:– मुख्य लेखा पदाधिकारी (प्रभारी) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, सैदपुर, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक:– IE/27/2010-11part-II/ 8842 दिनांक– 16.10.19
प्रतिलिपि:– सभी जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी समिति, बिहार शिक्षा परियोजना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

राज्य परियोजना निदेशक